हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पक्षकारान मय अधिवक्ता उपस्थित। पक्षकारान के बयान कलमबद्ध किये गये। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28/06/22 को पेश हो। सहायक कलेक्टर, गुढ़ामालानी	कु. जमना कु. लखमाराम लुआराम

28/06/22	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों मे व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 08/07/22.....को पेश हो।	
08/07/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण के बहस सुनी गई। आदेश/निर्णय अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णय सुनाए होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर गुढ़ामालानी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:06:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.), गुड़ामालानी
पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार R.A.S.

प्रकरण संख्या :–126/2021

वादीगण

1. बालाराम पुत्र चेतनराम
2. नरपत पुत्र चेतनराम
3. ओमी पुत्री चेतनराम
4. सीमा पुत्री चेतनराम जाति जाट निवासी गोलिया जेतमाल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर (नाबालिग की वली माता जसोदा पत्नि चेतनराम)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. चेतनराम पुत्र चेनाराम जाति जाट निवासी गोलिया जेतमाल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. तहसीलदार ~~एवं उप पंजीयक~~ गुड़ामालानी

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम वास्ते पाने घोषणा

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 08.07.2022

वादीगण की ओर से वादीगण की वली माता जसोदा पत्नी चेतनराम ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दु विधि से शासित होते है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के जायन्दा पुत्र–पुत्री हैं।

वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक व संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र गोलिया जैतमाल के राजस्व ग्राम गोलिया जैतमाल में खेत खसरा नम्बर 277/8, 280/6 रकबा क्रमशः 0.6070, 5.0424 हैक्टेयर की आई हुई है। उक्त विवादित आराजी वक्त सेटलमेन्ट वादीगण के दादा, प्रतिवादी संख्या 1 चेतनराम के पिता चेनाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई, तत्पशत् चेनाराम के फौत होने से चेतनराम केनाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई है। इस आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से क[illegible] करते हैं [illegible]वादी संख्या 1 के साथ बराबर हिस्से का अधिकार पैदा [illegible] तथा धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के [illegible] आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 सहदायिकी है तथा समस्त [illegible]दायिकों का बराबर हिस्सा है, इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 1/5–1/5 खातेदारी का है, जिसको घोषित करवाने के वादीगण अधकारी हैं। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:06:59 IST
Reason: SelfAttested

[illegible signature]
...क्टर गुड़ामालानी